न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 160/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. पुरखाराम पुत्र खेराजराम जाट निवासी-- देरामाणियों की ढाणी, तहसील बायतू जिला बाडमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतू, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश कमांक राजस्व/2022/1771 दिनांक 06.09.2022 जो उपखंड अधिकारी बायतू, जिला बालोतरा के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः-

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29 अप्रेल, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देरामाणियों की ढाँणी एवं ग्राम बायतू पनजी के खेत खसरान की निजी खतोदारी की रकबा भूमि में मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के कम में उक्त रास्ते की भूमि विप्रार्थीगणों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06.09.2022 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। तत्समय में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मौके पर पटवारी हल्का द्वारा रास्ता निकालने की बात कहने पर आदेश की जानकारी हुई तब आदेश की नकल हेतु दिनांक 30.1.23 को आवेदन कर नकले प्राप्त की तब अपीलान्ट ने अधिवक्ता से सम्पर्क करते हुए यह अपील पेश करने की कार्यवाही की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे। रेस्पोडेन्ट राजकीय अधिवक्ता के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम देरामाणियों की ढाणी एवं ग्राम बायतू पनजी के खेत खसरान 625/553, 573/445, 574/445, 575/445, 938/893, 850/708, 870/719 व 628/463 में से होकर रास्ता गुजरता है जो कि पुराने समय से चालू है तथा वर्तमान में चालू है। उक्त प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त खसरान में ख0सं0 625/553 रकबा 0.2145 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की है, को भी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारों को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया तथा उनकी खातेदारी भूमियों में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट खसरा संख्या ख0सं0 625/553 के रेकर्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को किसी भी प्रकार का सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है और न ही कोई सहमति ली गई और उक्त वर्णित रकबा भूमि में से कोई रास्ता वर्तमान में नहीं चल रहा है इसलिये नये रास्ते का आदेश नही दिया जा सकता है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के खेत खसरान के मध्य से रास्ते का आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 में राजस्व रेकर्ड में किसी तरह की हुई लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्ध करने का प्रावधान है जबकि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण राजस्व रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नहीं जा सकता है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को नोटिस तक तामील नहीं करवाये और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर कार्यवाही कर दी गई, वह आदेश अपास्त व निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के खेत की रकबा भूमि के बीचों–बीच से रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित किया गया है जो अपीलान्ट के खेत में कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करेगा एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी अपीलान्ट को परेशानी का सामना करना पड रहा है यदि रास्ता निकाला आवश्यक भी है तो अपीलान्ट की खातेदारी वाले खेत खसरान की रकबा भूमि की माठ–माठ से उक्त रास्ते को निकाला जाता है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है और इस बाबत सहमति प्रदान करता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी की भूमि में से जो रास्ता घोषित किया है उसको निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार बायतू के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम देरामाणियों की ढाणी व बायतू पनजी के उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बायतू के द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के द्वारा उनकी खातेदारी वाले खेत खसरान की रकबा भूमि की माठ–माठ से उक्त रास्ते को निकाले जाने बाबत सहमति दर्शाई है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2022 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 625/553

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 को अपीलान्ट के खेंत खसरान संख्या 625/553 की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बायतू को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29 अप्रेल, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर